फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर , मुकाम जायल (नागौर)

गणेशलाल S/o रेवुमलजी जाति जाट बनाम अज्यो देवी W/o स्वर्गीय मोडजी जाति जाट

किस्म मुकदमा रोजनामचा वाद मुकदमा नम्बर 57/2011

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे।
10/2/11	वकील वादी के द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। मिशल दिनाक 25/2/11 को पेश हो।	
25/2/11	[illegible] प्रकरण [illegible] 28/2/11 को प्रस्तुत करें।	
28/2/11	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील नहीं तामील करी जावे। उपस्थित करने हेतु दिनांक दी जावे। मि.दिनांक 28.4.11 को पेश हो।	
28/4/11	वकील वादी उपस्थित। सम्मन पेश नहीं पेश करने हेतु दिनांक दी जावे मि.दि. 20.7.11 को पेश हो।	
20/7/11	[illegible] प्रकरण [illegible] 20.9.11 को प्रस्तुत करें।	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज
14/6/22	पुकार/पक्षकारान की उपस्थिति। पीठासीन अधिकारी [illegible]/मिटिंग में/अवकाश [illegible] पर [illegible] हुए है, इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 21/7/22 को [illegible] करें।
5/7/22	वकील वादी ने दर. पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी अयोध्या देवी का स्वर्गवास हो गया है, जिसका एक मात्र वारिस वादी है। प्रतिवादी स. 1 के फौत हो जाने से दावा सारहीन हो गया है। वादी प्रकरण को चलाना नही चाहता है। जरिये विड्रोल खारिज किया जावे। अतः वाद वादी का जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद आप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल